

दो गई अनुज्ञा स्वीकृति के दि० २३-०५-११  
से पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी।

मानचित्र संख्या १७३/१०-११  
यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम  
१९७३ (संघर्ष अधिनियम संख्या-११-१९७३) की धारा १५ उपधारा  
३ एब इस विषय में सम्बन्धित नियमों/उपविधियों के अनुसार की गई  
है। इस स्वीकृति से आपको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा इस  
स्वीकृति का कोई प्रभाव सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अधिकार पर नहीं  
पड़ेगा और ही कोई कानूनी रुकावट होगी।

सचिव २५/०५/११  
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा  
दिनांक २५-०५-११

नोट  
सी. नं० ५/१ पर कसबा एवं  
शरी मान्य होगी।



११ अगस्त बानाचिम का मला भा ३  
तरोदय कर दिया है।  
मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं विकास  
अधिनियम १९७३ की धारा १५/निर्बाच  
अधिनियम के अनुसार है तथा स्वीकृत योग्य है।  
बल्लभ चर्चिया  
बल्लभ चर्चिया

EXECUT  
N.P. IN  
1ST. FL  
PROJE  
Sansk  
G-8 Ru  
SHEET  
SUBM  
Open  
SHEE  
Note:  
S.  
O  
O  
O  
T